न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर राज.

पीठासीन अधिकारी
भागीरथ आरटीएस
मि.न.79 / 2018 दिनांक 03.08.2018

सरकार बनाम रामनिवास

निर्णय

पत्रावली पेश हुई गैर सायल उपस्थित।

सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है सम्वत 2075 में वाके ग्राम रामसिंह पुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 817 रकबा 0.93 किस्म जमीन बजड़ पर रामनिवास पुत्र छाजूराम जाति गुर्जर निवासी रामसिंह पुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने 0.04 हैक्टर भूमि पर आंशिक पुख्ता निर्माण कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR/ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये। बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये। सुचना उपरान्त गैर सायल जरिये अधिवक्ता राजाराम रावत उपस्थित आये तथा जबाब पेश नही किया विद्वान अधिवक्ता को बार बार वास्ते जवाब पेश करने के अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब पेश नही किया गया तथा ना ही कोई साक्ष्य, दस्तावेज पेश किये जिनके आधार पर गैरसायल को राहत दी जा सके। अतः पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिर्पोट सही साबित होती है इसलिये गैरसायल के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः रामनिवास पुत्र छाजूराम जाति गुर्जर निवासी रामसिंह पुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम रामसिंहपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 817 रकबा 0.93 जमीन बजड़ में से 0.04 है पर अतिक्रमी घोषित करते हुये उक्त आराजियात को पुखता निमार्ण ध्वस्त कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशि 0.32 का पचास गुणा 16 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसूली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे; निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2008 0.19 के रा० ले० ...
के पृष्ठ संख्या 94 पर 01 ...
16 रुपये कायम किये गये।

(हस्ताक्षर)
राजस्व लेखाकार
कोटपूतली